

99

राजस्व निगरानी/99

राजस्व निगरानी माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यू, म0प्र0 ग्वालियर

इन्हों के समक्ष.

R-1811-PBR/99

निगरानी अर्ज धारा 50 म.प्र. धू राजस्व संहिता के तहत.

1- सुरेश पिता घासीराम निवासी बिजलपुर इन्दौर

--- प्रार्थगिण

2- हरिनारायण पिता घासीराम निवासी सदर

विस्द्व

धयप्रदेश शासन

मप्रकाश, मोहन, पिता रामेश्वर निवासी ग्राम बिजलपुर, इन्दौर

--- प्रतिप्रार्थगिण

सदर प्रकरण में प्रार्थगिण श्रीमान् कलेक्टर महोदय इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-7-1999 जो कि उन्होंने प्रकरण क्रमांक 139/स्व0/निग0 /98-99 में पारित किया और श्रीमान् तेहसीलदार महोदय, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/7/92 जो कि उन्होंने प्रकरण क्रमांक 36/-अ-1961/91-92 को निरस्त करते हुए स्वमेव निगरानी स्वीकार की उक्त आदेश से अंतुष्ट होकर यह निगरानी अर्ज निचे लिखे कारणों पर प्रस्तुत है :-

का र ण
=====

1- यह कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय एवं नीति के विपरित होकर निरस्त होने योग्य है ।


स्वमेव निगरानी में

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1811-पीबीआर/1999

जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19-6-2018	<p>आवेदक अधिवक्ता दिनांक 19-7-2016 से सूचना उपरांत लगातार अनुपस्थित हैं । आवेदकपक्ष व अधिवक्ता की उपस्थिति के लिये प्रकरण आज दिनांक 19-6-2018 तक नियत किया गया, परन्तु आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में प्रकरण आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । प्रकरण के निराकरण में आवेदक को रुचि नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>

